—:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री महेन्द्र सैन — प्रार्थी
2. श्री जगजीत सिंह रमाणा —अप्रार्थी संख्या 1 ता 5, 7
3. श्री चानण राम —अप्रार्थी संख्या 8 ता 10
4. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —अप्रार्थी संख्या 6

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 26/5/26

अधिवक्ता प्रार्थी श्री महेन्द्र सैन द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है तथ्य इस प्रकार है कि–यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना व ठोस

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आधार है। यह कि वादी, अप्रार्थीगण स. 1 ता 5 व वाद पत्र मे तरतीबी अप्रार्थीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है इस कारण प्रार्थी का संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति मे जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र की नोइयत को समझने के लिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण व वाद पत्र में तरतीबी प्रतिवादीगण का सजरा खानदान प्रस्तुत है।

उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार वादी की बहिन व अप्रार्थी स. 1 की पुत्री कितां कौर अविवाहित फौत हो चुकी है, और प्रार्थी की एक अन्य बहिन देव कौर फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान वाद पत्र में तरतीबी प्रतिवादी स. 8 ता 10 है।

यह कि प्रार्थी के दादा व अप्रार्थी स. 1 के पिता जगमाल सिंह के नाम की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 41 एल.एल. डब्ल्यू के खाता स. 52/30 प.न. 15/239 मु. न. 59 के की 3. 795 हैव. नहरी मय गैर मु. खाला व चक 38 एल.एल.डब्ल्यू बी के खाता स. 29/22 के प.न. 12/233 की 5.313 हैव. नहरी मय गैर मु. रास्ता में अप्रार्थी स. 1 का 1/3 हिस्सा व चक 40 एल.एल.डब्ल्यू–बी के खाता स. 21/17 के प.न. 10/242 की 2.277 हैव. नहरी अनकमाण्ड में अप्रार्थी स. 1 का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थी के दादा व अप्रार्थी स. 1 के पिता जगमाल सिह की मृत्यु के पश्चात उक्त कृषि भूमि माताबिक हक व हिस्सा अनुसार अप्रार्थी स. 1 को प्राप्त हुई, और इस कारण उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड हुई, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है और इस कारण पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा है, प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य अर्सा पूर्व घरा घरू बंटवारा किया हुआ था, जिसमें वाद पत्र मे तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा अपना हक व हिस्सा मौखिक रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दिया है। इस कारण अप्रार्थी स. 1 द्वारा चक 41 एल. एल. डब्ल्यू की कृषि भूमि जो अप्रार्थी स. 2 व 3 के पक्ष तथाकथित दान पत्र के आधार पर अप्रार्थी स. 2 व 3 को प्राप्त हुई है, मे से प्रार्थी के हक व हिस्सा अनुसार अप्रार्थी स. 7/1 जमात सिंह 2 व 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर एंव अप्रार्थी स. 1 के नाम वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित शेष कृषि भूमि मे से प्रार्थी के 1/3 हक व हिस्सा अनुसार खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में चक 41 एल.एल. डब्ल्यू के खाता स. 52/30 प.न. 15/239 मु.न. 59 के की 3.795 हैव. नहरी मय खाला कृषि भूमि पूर्व में प्रर्थी के दादा व अप्रार्थी स. 1 के पिता जगमाल सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, और जगमाल सिंह की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी स. 1 को उक्त कृषि भूमि मे से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई जो पैतृक कृषि भूमि है पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 ता 5 व वाद पत्र में तरतीबी प्रतिवादी स. 7 ता 10 प्रत्येक का हक व हिस्सा निहित है लेकिन अप्रार्थी स. 1 जंगीर सिह, अप्रार्थी स. 2 व 3 के असमयक प्रभाव मे है, और इस कारण अप्रार्थी स. 1 द्वारा प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण का हक मारने की गर्ज. से अप्रार्थी स. 1 द्वारा अप्रार्थी स. 2 व 3 के पक्ष में दिनांक 20.07. 2021 को तथाकथित एंव विधि विरूद्ध रूप से पैतृक कृषि भूमि चक 41 एल. एल. डब्ल्यू के खाता स. 52/30 प.न. 15/239 मु.न. 59 के की 3.795 हैव. नहरी मय खाला कृषि भूमि जिसमें अप्रार्थी स. 1 का 1/2 हक व हिस्सा था, का तथाकथित दान पत्र अप्रार्थी स. 2 ता 3 के पक्ष मे निष्पादित करवा दिया और उक्त तथाकथित दान पत्र के आधार पर चक 41 एल.एल.डब्ल्यू की कृषि भूमि जो जंगीर सिह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी का इंतकाल अप्रार्थी स. 2 व 3 के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, उक्त तथाकथित दान पत्र प्रार्थी के अधिकारो पर बेअसर है, और इस कारण प्रार्थी तथाकथित दान पत्र को शुन्य व अवैध घोषित करवाने हेतू सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करेगा। अप्रार्थी स. 1 के नाम वर्तमान में कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, और अप्रार्थी स. 1, अप्रार्थी स. 2 व 3 के नाजायज प्रभाव मे होने के कारण अप्रार्थी स. 2 ता 5 द्वारा मिन प्रार्थी को यह धमकी दी जा रही है कि अप्रार्थी स. 1 से हम उसके नाम कि अन्य कृषि भूमि किसी दस्तावेज द्वारा अपने नाम करवायागे व अन्य व्यक्तियो को बेचान करेगे इस प्रकार मिन प्रार्थी को पूरा अंदेशा है कि अप्रार्थी स. 2 ता 5 मिन प्रार्थी के पिता अप्रार्थी स. 1 को दवाब में लेकर कथित दस्तावेज रचित कर ऐन येन प्रकारेण कृषि भूमि हडपने की फिराक में है व अप्रार्थी स. 1 के नाम समस्त भूमि बेचान कर सकते है, व अपने निजी फायदे के लिये अपने हितो के वशीभूत होकर किसी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कथित दस्तावेज द्वारा भूमि अपने नाम तैयार करने पर आमादा है, जिसमें मिन प्रर्थीका भी हक व हिस्सा निहित है यदि अप्रार्थी स. 2 ता 5, अप्रार्थी मि.अ.स. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि को किसी अजनबी व्यक्तियो को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल कर देते है व कथित दस्तावेज तैयार कर कृषि भूमि अपने नाम करवा लेते है तो मिन प्रार्थी व वाद पत्र में तरतीबी प्रतिवादीगण को अपरिमेय क्षति होगी, तथा ना पुरा होने वाला नुकसान होगा, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन मिन प्रार्थी के पक्ष में है, इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियो के दृष्टीगत प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण शाश्वत व्यादेश इस प्रकार का प्राप्त करने का अधिकारी है, अप्रार्थी स. 1 ता 3 प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित प्रार्थी के हक व हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि को रहन बैय व अन्तरित करने से निषेद रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी ता फैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य का स्वीकार फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 41 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता स. 52/30 प.न. 15/239 मु.न. 59 के की 3.795 हैक. नहरी मय गैर मु. खाला व चक 38 एल.एल. डब्ल्यू बी के खाता स. 29/22 के प.न. 12/233 की 5.313 हैक. नहरी मय गैर मु. रछस्ता में अप्रार्थी स. 1 का 1/3 हिस्सा व चक 40 एल.एल. डब्ल्यू–बी के खाता स. 21/17 के प.न. 10/242 की 2.277 हैक. नहरी अनकमाण्ड मय गैर मु. खाला रास्ता कृषि भूमि अन्य व्यक्तियो को रहन बैय व अन्तरित करने से निषेद रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षिय बहस सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व 7 की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवकता द्वारा हाजिर होकर वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया –

जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी सं. 1 की ओर से निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित कथन अस्वीकार है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थी को सफलता की कोई आशा नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन कतई अविधिक मनढत व असत्य होने अस्वीकार है। प्रार्थी का मिन अप्रार्थी सं. 1 की स्वंय अर्जित भूमि में कोई हिस्सा नहीं बनता। सजरा खानदान को सिद्ध करने भार प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा बजीर सिंह किस बिनाह पर जगमाल सिंह का सजरा खानदान में पुत्र दर्शाया है प्रार्थी स्वय सिद्ध करें व जगमाल सिंह की पुत्री जंगीर कौर को जंगीर सिंह फौत होना गलत रूप से दर्शाया है इस कारण प्रार्थना द्वारा अधुरा व जगमाल सिंह के वारिसों को गलत रूप से दर्शाया गया है। जगमाल सिंह के तीन पुत्र जंगीर सिंह –बलवीर सिंह–गुरा सिंह थे। गुरा सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनकी मृत्यु प्रार्थी द्वारा नही दर्शाई है। जगमाल सिंह के तेज कौर व जंगीर कौर जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिनकी मृत्यु होना नहीं दर्शाया है इस प्रकार प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाते हुए आधारहिन व विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन कतई अविधिक, असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। चक 41 एल एल डब्लयू की कृषि भूमि जो मिन अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। यह कृषि भूमि जरिये दस्तवदारी दिनांक 12.12.2001 को हकत्याग करने के पश्चात मिन अप्रार्थी व अप्रार्थी के भाई बलवीर सिंह के पुत्रो काला सिंह–जगा सिंह पुत्र बलवीर सिंह को 1/2 हिस्सा व मिन अप्रार्थी को 1/2 हिस्सा अनुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई। चक 41 एल एल डब्लयू की खाता सं. 52/30 के प.नं. 15/239 की 3.795 हैक. कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड जरिये दस्तवदारी दिनांक 12.12.2001 को प्राप्त हुआ जो मिन अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। यह कृषि भूमि पूर्व मे पिता जगमाल सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिनकी मृत्यु दिनांक 25.05.1978 को हुई जिसमें जगमाल के वारिस तेज कौर पुत्री जगमाल सिंह, जगमाल सिंह पुत्री जंगीर कौर जिसकी मृत्यु हो चुकी थी के वारिसो द्वारा मिन अप्रार्थी व भाई बलवीर सिंह के लडको जगा सिंह व काला सिंह के पक्ष में दस्तवदारी की गई। पिता जगमाल सिंह की मृत्यु के पश्चात मिन अप्रार्थी की माता जगमाल सिंह की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी। जगमाल सिंह के जीवित व जायज वारिस मिन अप्रार्थी सं. 1 व भाई बलवीर सिंह के दो पुत्र व मिन अप्रार्थी की बहिने तेज कौर, व जंगीर कौर के वारिस थे। इस प्रकार जगमाल सिंह के नाम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

उक्त 41 एल एल डब्लयू की 3.795 हैक. कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी का 1/4 हिस्सा ही बनता था इस 1/4 हिस्सा में प्रार्थी अपना 1/5 हिस्सा ही प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो उसको चक 40 एल एल डब्लयू बी की जो मिन अप्रार्थी के नाम खाता सं. 21/17 के प.नं. 10/242 की कुल 2.277 हैक. नहरी अनकमाण्ड में 1/4 हिस्सा का हक प्रदान कर रखा है क्योंकि चक 38 एल एल डब्लयू के खाता सं. 29/22 के प.नं. 12/333 की कुल 5.313 हैक. नहरी कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी का 1/3 हिस्सा जो मिन अप्रार्थी का आवंटित कृषि भूमि है जिसकी सनद दिनांक 29.06.1961 प्रस्तुत है। इस प्रकार इस आवटित कृषि भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं हैं इसी प्रकार चक 40 एल एल डब्लयू बी के खाता सं. 21/17 के प.नं. 10/242 की कुल 2.277 हैक. नहरी अनकमाण्ड कृषि भूमि भी मिन अप्रार्थी को आंवटित कृषि भूमि है जिसकी सनद दिनांक 29.06.1961 को जारी हुई जो प्रस्तुत है, इस प्रकार चक 40 एल एल डब्लयू बी व 38 एल एल डब्लयू बी की उक्त कृषि भूमि मिन अप्रार्थी आवंटित कृषि भूमि है। चक 41 एल एल डब्लयू की कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी द्वारा अपना 1/4 हिस्सा में से प्रार्थी को 1/5 हिस्सा मानते हुए चक 40 एल एल डब्लयू बी की कृषि भूमि में उसका हक प्रदान किया जा चुका है जिसमें उसकी पूर्णत रजामन्दी व सहमती रही थी।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन कतई अविधिक, असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, प्रार्थी को उसका हक व हिस्सा प्रदान किया जा चुका है प्रार्थी मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि को मिन अप्रार्थी के जीवित रहते किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दान पत्र को सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है दान पत्र के आधार पर माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है न ही किसी प्रकार की खातेदारी घोषण प्राप्त करने का अधिकारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन कतई अविधिक, असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को उसका हक उसकी सहमती से चक 40 एल एल डब्लयू बी में देने के पश्चात मिन अप्रार्थी द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विधि वत रूप से दान पत्र अप्रार्थी सं. 2 व 3 जो मिन अप्रार्थी 95 वर्षीय बुढा व्यक्ति है अपनी सेवा भावना से खुश होकर के हक में कर दिया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 को विधिवत रूप से इस दान पत्र अनुसार अप्रार्थी सं. 2 व 3 के राजस्व दर्ज रिकार्ड कृषि भूमि पर उनका कब्जा काश्त है। चक 41 एल एल डब्लयू की कृषि भूमि मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि है। प्रार्थी का इसमें कोई हक व हिस्सा नहीं है क्योंकि प्रार्थी को चक 42 एल एल डब्लयू बी में उसका हक व हिस्सा विधिवत रूप से प्रार्थी को प्रदान किया जा चुका है जिस पर उसका कब्जा है प्रार्थी अपने हक व हिस्से से ज्यादा कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्योकिं कृषि भूमि मिन अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। मिन अप्रार्थी सं.1 जो 95 वर्षीय बुढा व्यक्ति है जिसकी सार सम्भाल प्रार्थी नहीं करता मिन अप्रार्थी की सेवा प्रार्थी कभी नहीं करता आए दिन एक चक में हक प्राप्त करने के पश्चात भी मिन अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तंग व परेशान करता है। मिन अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 को जो कि मिन अप्रार्थी के पुत्र अमरजीत सिह जिसकी मृत्यु हो चुकी है के विधिक वारिस है, को उनका जरिये दान पत्र हक प्रदान किया है। दान पत्र आज भी यथावत है। माननीय न्यायालय को विधिवत रूप से जारी दान पत्र को शुन्य व अवैध घोषित करने की अधिकारीता नहीं है प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा में जसवन्त सिह बनाम जंगीर सिंह नम्बरी मुकदमा 38/2023 प्रस्तुत किया था जो दान पत्र को अकृत व शुन्य घोषित करवाने का था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2023 को प्रार्थना पत्र मूल्यांकन सही नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र वापिस लौटा दिया है इस कारण प्रार्थी माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपरिमेय क्षति नहीं हो रही है, प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। किसी प्रकार के हितो को कुठाराघात नहीं हो रहा है,, प्रार्थी ने जानबुझकर तथ्यो को रंगत देने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावें । प्रार्थी कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अविधिक तथ्यो पर आधारित होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 ता 5 व 7 की ओर से निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित कथन अस्वीकार है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थी को सफलता की कोई आशा नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन कतई अविधिक मनढत व असत्य होने अस्वीकार है। प्रार्थी का अप्रार्थी सं. 1 की स्वंय अर्जित भूमि में कोई हिस्सा नहीं बनता। सजरा खानदान को सिद्ध करने भार प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा बजीर सिंह किस बिनाह पर जगमाल सिंह का सजरा खानदान में पुत्र दर्शाया है प्रार्थी स्वय सिद्ध करें व जगमाल सिंह की पुत्री जंगीर कौर को जंगीर सिंह फौत होना गलत रूप से दर्शाया है इस कारण प्रार्थना द्वारा अधुरा व जगमाल सिंह के वारिसों को गलत रूप से दर्शाया गया है। जगमाल सिंह के तीन पुत्र जंगीर सिंह–बलवीर सिंह–गुरा सिंह थे। गुरा सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनकी मृत्यु प्रार्थी द्वारा नही दर्शाई है। जगमाल सिंह के तेज कौर व जंगीर कौर जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिनकी मृत्यु होना नहीं दर्शाया है इस प्रकार प्रार्थी ने तथ्यो को छुपाते हुए आधारहिन व विधि विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन कतई अविधिक, असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। चक 41 एल एल डब्लयू की कृषि भूमि जो अप्रार्थी सं. 1 सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। यह कृषि भूमि जरिये दस्तवदारी दिनांक 12.12.2001 को हकत्याग करने के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 के भाई बलवीर सिंह के पुत्रो काला सिंह– जगा सिंह पुत्र बलवीर सिंह को 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 को 1/2 हिस्सा अनुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई । चक 41 एल एल डब्लयू की खाता सं. 52/30 के प.नं. 15/239 की 3.795 हैक. कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड जरिये दस्तवदारी दिनांक 12.12.2001 को प्राप्त हुआ जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ । यह कृषि भूमि पूर्व मे अप्रार्थी सं. 1 के पिता जगमाल सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिनकी मृत्यु दिनांक 25.05.1978 को हुई जिसमें जगमाल के वारिस तेज कौर पुत्री जगमाल सिंह, जगमाल सिंह पुत्री जंगीर कौर जिसकी मृत्यु हो चुकी थी के वारिसो द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व भाई बलवीर सिंह के लडको जगा सिंह व काला सिंह के पक्ष में दस्तवदारी की गई। पिता जगमाल सिंह की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 की माता जगमाल कौर की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी । जगमाल सिंह के जीवित व जायज वारिस अप्रार्थी सं. 1 व भाई बलवीर सिंह के दो पुत्र व अप्रार्थी सं. 1 की बहिने तेज कौर, व जंगीर कौर के वारिस थे। इस प्रकार जगमाल सिंह के नाम उक्त 41 एल एल डब्लयू की 3.795 हैक. कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का 1/4 हिस्सा ही बनता था इस 1/4 हिस्सा में प्रार्थी अपना 1/5 हिस्सा ही प्राप्त करने का अधि कारी होगा जो उसको चक 40 एल एल डब्लयू बी की जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम खाता सं. 21/17 के प.नं. 10/242 की कुल 2.277 हैक. नहरी अनकमाण्ड में 1/4 हिस्सा का हक प्रदान कर रखा है क्योंकि चक 38 एल एल डब्लयू के खाता सं. 29/22 के प. नं. 12/333 की कुल 5.313 हैक. नहरी कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा जो अप्रार्थी सं. 1 का आवंटित कृषि भूमि है जिसकी सनद दिनांक 29.06.1961 प्रस्तुत है इस प्रकार इस आंवटित कृषि भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं हैं इसी प्रकार चक 40 एल एल डब्लयू बी के खाता सं. 21/17 के प. नं. 10/242 की कुल 2. 277 हैक. नहरी अनकमाण्ड कृषि भूमि भी अप्रार्थी सं. 1 को आंवटित कृषि भूमि है जिसकी सनद दिनांक 29.06.1961 को जारी हुई जो प्रस्तुत है, इस प्रकार चक 40 एल एल डब्लयू बी व 38 एल एल डब्लयू बी की उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 आवंटित कृ षि भूमि है। चक 41 एल एल डब्लयू की कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपना 1/4 हिस्सा में से प्रार्थी को 1/5 हिस्सा मानते हुए चक 40 एल एल डब्लयू बी की कृषि भूमि में उसका हक प्रदान किया जा चुका है जिसमें उसकी पूर्णत रजामन्दी व सहमती रही थी ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन कतई अविधिक, असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, दान पत्र को सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है दान पत्र के आधार पर माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है न ही किसी प्रकार की खातेदारी घोषण प्राप्त करने का अधिकारी है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन कतई अविधिक, असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी को उसका हक उसकी सहमती से चक 40 एल एल

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

डब्लयू बी में देने के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विधिवत रूप से दान पत्र अप्रार्थी सं. 2 व 3 जो अप्रार्थी सं.1, 95 वर्षीय बुढा व्यक्ति है अपनी सेवा भावना से खुश होकर के हक में कर दिया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 को विधिवत रूप से इस दान पत्र अनुसार अप्रार्थी सं. 2 व 3 के राजस्व दर्ज रिकार्ड कृषि भूमि पर उनका कब्जा काश्त है। चक 41 एल एल डब्लयू की कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि है। प्रार्थी का इसमें कोई हक व हिस्सा नहीं है क्योंकि प्रार्थी को चक 42 एल एल डब्लयू बी में उसका हक व हिस्सा विधिवत रूप से प्रार्थी को प्रदान किया जा चुका है जिस पर उसका कब्जा है प्रार्थी अपने हक व हिस्से से ज्यादा कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्योकिं कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 जो 95 वर्षीय बुढा व्यक्ति है जिसकी सार सम्भाल प्रार्थी नहीं करता अप्रार्थी सं. 1 की सेवा प्रार्थी कभी नहीं करता आए दिन एक चक में हक प्राप्त करने के पश्चात भी अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तंग व परेशान करता है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 को जो कि अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र अमरजीत सिह जिसकी मृत्यु हो चुकी है के विधिक वारिस है, को उनका जरिये दान पत्र हक प्रदान किया है। दान पत्र आज भी यथावत है। माननीय न्यायालय को विधिवत रूप से जारी दान पत्र को शुन्य व अवैध घोषित करने की अधिकारीता नहीं है प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा में जसवन्त सिंह बनाम जंगीर सिंह नम्बरी मुकदमा 38/2023 प्रस्तुत किया था जो दान पत्र को अकृत व शुन्य घोषित करवाने का था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2023 को प्रार्थना पत्र मूल्यांकन सही नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र वापिस लौटा दिया है इस कारण प्रार्थी माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपरिमेय क्षति नहीं हो रही है । प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। किसी प्रकार के हितो को कुठाराघात नहीं हो रहा है,, प्रार्थी ने जानबुझकर तथ्यो को रंगत देने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावें । प्रार्थी कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अविधिक तथ्यो पर आधारित होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

जवाब प्रार्थना तरतीबी अप्रार्थी सं. 8 ता 10 की ओर से निम्न प्रकार से है– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 स्वीकार है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया जा चुका है जिसमे मिन अप्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना व ठोस आधार है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय बिन्दु के क्षति मिन अप्रार्थीगण के पक्ष मे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। उक्त दफा में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे मिन अप्रार्थीगण का हक व हिस्सा निहित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे वर्णित कथन कि चक 41 एलएलडब्लयू के खाता सं. 52/30 के प.नं. 15/239 की 3.795 हैक. पूर्व मे प्रार्थी के दादा व मिन अप्रार्थी सं. 9, 10 के पड़नाना जगमाल सिंह के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी और उनकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 को जरिये विरासत उसके हक व हिस्सानुसार प्राप्त हुई थी और इस कारण प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी में होने के कारण मिन अप्रार्थीगण का बतौर सहदायिक जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं. 1 जो अप्रार्थी सं. 2 ता 5 के असम्यक प्रभाव मे है, इस कारण अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण का पैतृक कृषि भूमि मे से हक व हिस्सा मारने की गर्ज से चक 41 एलएलडब्लयू के खाता सं. 52/30 के प.नं. 15/239 (59) की 3.795 हैक. जिसमे अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा था, का तथाकथित दान पत्र अप्रार्थी सं. 2–3 के मे पंजीबद्ध करवा दिया और उक्त तथाकथित दान पत्र के आधार पर अप्रार्थी सं. 2–3 के नाम कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो चुकी है। उक्त तथाकथित दान पत्र को प्रार्थी व मिन अप्रार्थी द्वारा अवैद्य व शुन्य घोषित करवाने हेतू सिविल न्यायालय मे प्रकरण प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है, इस कारण अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2–3 के पक्ष मे पंजीबद्व तथाकथित दान पत्र मिन अप्रार्थीगण के हक व हिस्सा व अधिकारों के प्रति शुन्य व निष्प्रभावी है। यदि अप्रार्थीगण सं. 2–3 तथाकथित दान पत्र मे वर्णित कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार

से मुन्तकिल कर देते है तो मिन अप्रार्थीगण को अपरिमय क्षति कारित होगी। इस कारण हस्तगत प्रकरण में वर्णित कृषि भूमि मे मिन अप्रार्थीगण के हक व हिस्से की खातेदारी घोषणा प्राप्त किये जाने तक प्रश्नगत भूमि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 मे वर्णित कथन असत्य, मनगढ़त होने से अस्वीकार है।

मिन अप्रार्थीगण द्वारा अपना हक व हिस्सा किसी भी प्रकार से नही त्यागा गया है जबकि प्रश्नगत भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिनमे मिन अप्रार्थी सं. 9–10 का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है।

प्रतिप्रार्थना पत्र

यह कि तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्लयू के खाता सं. 52/30 के प.नं. 15/239(59) की 3.795 हैक. नहरी म.गै.मु. खाला व चक 38 एलएलडब्लूय–बी के खाता सं. 29/22 के प.नं. 12/233 की 5.313 हैक. नहरी म.गै.मु. रास्ता मे अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा व चक 40 एलएलडब्लयू–बी के खाता सं. 21/17 के प.नं. 10/242 की 2.277 हैक. नहरी म.गै.मु खाला मे अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि पूर्व मे मिन अप्रार्थी सं. 8–9 के पड़नाना जगमाल सिंह के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज थी और उनकी मृत्यु के पश्चात मिन अप्रार्थीगण के नाना अप्रार्थी सं. 1 जंगीर सिंह को उनके हक व हिस्सानुसार प्राप्त हुई थी।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा चक 41 एलएलडब्लयू के खाता सं. 52/30 के प.नं. 15/239 (59) की 3.795 हैक. नहरी म.गै.मु. खाला कृषि भूमि जिसमे अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा निहित था। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विधि विरूद्व तरीके से व मिन अप्रार्थी सं. 9–10 का पैतृक हक व हिस्सा मारने की गर्ज से अप्रार्थी सं. 2–3 के पक्ष मे तथाकथित दान पत्र पंजीबद्व करवा दी गई और उक्त तथाकथित दान पत्र के आधार पर वर्तमान मे उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 2–3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2–3 के पक्ष मे तथाकथित दान पत्र मिन अप्रार्थीगण के हक व हिस्सा पर शुन्य व निष्प्रभावी है क्योंकि उक्त कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि थी जिमसे मिन अप्रार्थीगण का बतौर सहदायिक जन्म से हक व हिस्सा निहित था और अप्रार्थी सं. 1 को उक्त कृषि भूमि हस्तांतरण करने के कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नही थे क्योंकि उक्त तथाकथित दान पत्र एक पंजीबद्व दस्तावेज है जिसके अस्तित्व मे रहते हुए मिन अप्रार्थीगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। इस कारण प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण द्वारा तथाकथित दान पत्र को अपने अपने हिस्से तक व अधिकारों के प्रति अवैद्य व शुन्य घोषित करवाने हेतू सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है।

यह कि प्रतिप्रार्थना पत्र की मद सं. 6 मे वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी सं. 9–10 की पैतृक कृषि भूमि है और पैतृक कृषि भूमि होने के कारण उक्त प्रश्नगत पैतृक कृषि भूमि मिन अप्रार्थी सं. 9–10 का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है और अप्रार्थी सं. 1 द्वारा चक 41 एलएलडब्लयू के प.नं. 15/239 की 3.795 हैक. कृषि भूमि जिसमे अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित था। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2–3 के पक्ष मे हस्तांतरण की जा चुकी है। उक्त कृषि भूमि मे से अप्रार्थी सं. 2–3 का नाम कलमजन करते हुए मिन अप्रार्थी सं. 9–10 अपने हक व हिस्सानुसार खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

यह कि प्रतिप्रार्थना पत्र की मद सं. 6 मे वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो वर्तमान मे अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है और अप्रार्थी सं. 1 ता 3 उक्त कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से अन्तरित करने से प्रयासरत है। यदि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 उक्त कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्तरित करते देते है तो मिन अप्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए मिन अप्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 प्रतिप्रार्थना पत्र की मद सं. 6 मे वर्णित कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने से निषेध रहे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रतिप्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मिन अप्रार्थीगण की प्रतिप्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 52/30 के प.नं. 15/239 (रकबा) की 3.795 है. व चक 38 एलएलडब्ल्यू बी के खाता सं. 29/22 के प.नं. 12/333 की 5.313 है. में अप्रार्थी सं. 1 के 1/3 हिस्सा व चक 40 एलएलडब्ल्यू बी के खाता सं. 21/17 के प.नं. 10/242 की 2.277 है. के 1/3 हिस्सा कृषि भूमि को रहन बेचान व अन्य प्रकार से सुपुर्दगी करने से निषेध रहे व बेचान व रिकॉर्ड की तकामिल करावें।

जवाब अज जवाब प्रार्थना पत्र मय जवाब प्रतिप्रार्थना पत्र पत्र मिन अप्रार्थी सं. 1 ता 5 व 7 की ओर से निम्न प्रकार से है— यह कि जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रतिप्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन की प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि कतई असत्य होने से अस्वीकार है। चक 41 एल एल डब्ल्यू की कृषि भूमि जो मिन अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह कृषि भूमि जरिये दस्तवदारी दिनांक 12.12.2001 को हस्ताक्षर करने के पश्चात मिन अप्रार्थी व अप्रार्थी के भाई बलवीर सिंह के पुत्रों कश्मा सिंह जगा सिंह पुत्र बलवीर सिंह को 1/2 हिस्सा व मिन अप्रार्थी को 1/2 हिस्सा अनुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई। चक 41 एल एल डब्ल्यू की खाता सं. 52/30 के प.नं. 15/239 की 3.795 है. कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड जरिये दस्तवदारी दिनांक 12.12.2001 को प्राप्त हुआ जो मिन अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। यह कृषि भूमि पूर्व में पिता जगमाल सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिनकी मृत्यु दिनांक 25.05.1978 को हुई जिसके जगमाल के वारिस तेज कौर पुत्री जगमाल सिंह, जगमाल सिंह की पुत्री जसीर कौर जिसकी मृत्यु हो चुकी थी के वारिसों द्वारा मिन अप्रार्थी व भाई बलवीर सिंह के लड़को जगा सिंह व कश्मा सिंह के पक्ष में दस्तवदारी की गई। पिता जगमाल सिंह की मृत्यु के पश्चात मिन अप्रार्थी की माता जगमाल कौर की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी। जगमाल सिंह के जीवित व जायज वारिस मिन अप्रार्थी सं. 1 व भाई बलवीर सिंह के दो पुत्र व मिन अप्रार्थी की बहिने तेज कौर, व जसीर कौर के वारिस थे। इस प्रकार जगमाल सिंह के नाम उक्त 41 एल एल डब्ल्यू की 3.795 हैक. कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी का 1/4 हिस्सा ही बनता था इस 1/4 हिस्सा में प्रार्थी अपना 1/5 हिस्सा ही प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो उसको चक 40 एल एल डब्ल्यू बी की जो मिन अप्रार्थी के नाम खाता सं. 21/17 के प.नं. 10/242 की कुल 2.277 हैक. नहरी अनकमाण्ड में 1/4 हिस्सा का हक प्रदान कर रखा है क्योंकि चक 38 एल एल डब्ल्यू के खाता सं. 29/22 के प.नं. 12/333 की कुल 5.313 हैक. नहरी कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी का 1/3 हिस्सा जो मिन अप्रार्थी का आवंटित कृषि भूमि है जिसकी सनद दिनांक 29.06.1981 प्रस्तुत है। इस प्रकार इस आवंटित कृषि भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है इसी प्रकार चक 40 एल एल डब्ल्यू बी के खातान. सं. 21/17 के प.नं. 10/242 की कुल 2.277 हैक. नहरी अनकमाण्ड कृषि भूमि भी मिन अप्रार्थी को आवंटित कृषि भूमि है जिसकी सनद दिनांक 29.06.1981 को जारी हुई जो प्रस्तुत है, इस प्रकार चक 40 एल एल डब्ल्यू बी व 38 एल एल डब्ल्यू बी की उक्त कृषि भूमि मिन अप्रार्थी आवंटित कृषि भूमि है। चक 41 एल एल डब्ल्यू की कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी द्वारा अपना 1/4 हिस्सा में से प्रार्थी को 1/5 हिस्सा मानते हुए चक 40 एल एल डब्ल्यू बी की कृषि भूमि में उसका हक प्रदान किया जा चुका है जिसमें उसकी पूर्ण रजामन्दी व सहमती रही थी।

यह कि जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रतिप्रार्थना पत्र की दफा 4 कतई असत्य अविधिक होने से अस्वीकार है। चक 41 एल एल डब्ल्यू के खाता सं. 52/30 के प.नं. 15/239 की 3.795 है.क. कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड जरिये दस्तावदारी दिनाक 12.12.2001 को प्राप्त हुआ जो मिन अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ इस कारण यह कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि न होकर मिन अप्रार्थी सं. 1 को जरिये दस्तावदारी प्राप्त कृषि भूमि है इस कारण यह पैतृक कृषि भूमि नहीं है जिसमें अप्रार्थी सं. 8 ता 10 का किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 मिन अप्रार्थी के हजन्म से सहदायिकी नहीं है। नाना–पडनाना की कृषि भूमि में दोहिते व पडदोहितो का नाना के जीवित रहते किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं बनता है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 अपने दादा पडदादा की कृषि भूमि में से ही हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 8 ता 10 का किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 अपने पितृवंश से ही कृषि भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। हिन्दु उतराधिकार

अधिनियम के अनुसार नाना के जीवित रहते दोहिते किसी प्रकार का कानूनन हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मिन अप्रार्थी सं. 1 के जीवित रहते अप्रार्थी सं. 8 ता 10 कृषि भूमि को पैतृक दर्शा कर हक व दिसा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 से 3 के हक में करवाया गया पंजीकृत दान पत्र विधिवत रूप से करवाया गया है, मिन अप्रार्थी सं. 1 को अप्रार्थी सं. 2 व 3 के हक में दान पत्र कारवाने की पूर्णत अधिकारीता है जिसमें अप्रार्थी सं. 8 ता 10 का किसी प्रकार का हित निहित नहीं है न ही अप्रार्थी सं. 3 ता 10 की ओर से इसे शुन्य घोषित करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी जसवन्त सिंह की ओर से सिविल न्यायालय पीलीबंगा में दान पत्र को शुन्य घोषित करवाने के हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो आर्थिक क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण व कम मूल्याकन पर आधारित होने के कारण प्रार्थना पत्र वादीगण को वापिस लौटा दिया गया है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 द्वारा अविधिक कथन अकिंत किए गए है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 का मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि में किसी प्रकार हक व हिस्सा निहित नहीं होने के कारण किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मिन अप्रार्थी को जो कि 95 वर्षिय बुढा व्यक्ति है जिसकी स्वंय अर्जीत कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 8 ता 10 व अन्य किसी पक्षकार का मिन अप्रार्थी सं. 1 के जीवित रहते किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं है। मिन अप्रार्थी सं. 1 को अपने जीवित रहते अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनी इस कृषि भूमि अपने पास रखना नितांत आवश्यक है मिन अप्रार्थी सं. 1 की 95 वर्षीय उम्र में अप्रार्थी सं. 8 ता 10 किसी प्रकार की सुध नहीं लेते व किसी प्रकार की सार सम्भाल नहीं करते इस कारण अप्रार्थी सं. 8 ता 10 किसी प्रकार का हक व हिस्सा मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि में प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

यह कि जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रतिप्रार्थना पत्र की दफा 6 कतई असत्य अविधिक होने से अस्वीकार है। चक 41 एल एल डब्लयू की कृषि भूमि जो मिन अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। यह कृषि भूमि जरिये दस्तवदारी दिनांक 12.12.2001 को हकत्याग करने के पश्चात मिन अप्रार्थी व अप्रार्थी के भाई बलवीर सिंह के पुत्रो काला सिंह–जगा सिंह पुत्र बलवीर सिंह को 1/2 हिस्सा व मिन अप्रार्थी को 1/2 हिस्सा अनुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई। चक 41 एल एल डब्लयू की खाता सं. 52/30 के प.नं. 15/239 की 3.795 हैक. कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड जरिये दस्तवदारी दिनांक 12.12.2001 को प्राप्त हुआ जो मिन अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। यह कृषि भूमि पूर्व मे पिता जगमाल सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिनकी मृत्यु दिनांक 25.05.1978 को हुई जिसमें जगमाल के वारिस तेज कौर पुत्री जगमाल सिंह, जगमाल सिंह की पुत्री जंगीर कौर जिसकी मृत्यु हो चुकी थी के वारिसो द्वारा मिन अप्रार्थी व भाई बलवीर सिंह के लडको जगा सिंह व काला सिंह के पक्ष में दस्तवदारी की गई। पिता जगमाल सिंह की मृत्यु के पश्चात मिन अप्रार्थी की माता जगमाल कौर की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी। जगमाल सिंह के जीवित व जायज, वारिस मिन अप्रार्थी सं. 1 व भाई बलवीर सिंह के दो पुत्र व मिन अप्रार्थी की बहिने तेज कौर, व जंगीर कौर के वारिस थे। इस प्रकार जगमाल सिंह के नाम उक्त 41 एल एल डब्लयू की 3.795 हैक, कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी का 1/4 हिस्सा ही बनता था इस 1/4 हिस्सा में प्रार्थी अपना 1/5 हिस्सा ही प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो उसको चक 40 एल एल डब्लयू बी की जो मिन अप्रार्थी के नाम खाता सं. 21/17 के प.नं. 10/242 का कुल 2.277 हैक. नहरी अनकमाण्ड में 1/4 हिस्सा का हक प्रदान कर रखा है क्योंकि चक 38 एल एल डब्लयू के खाता सं. 29/22 के प.नं. 12/333 की कुल 5.313 हैक. नहरी कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी का 1/3 हिस्सा जो मिन अप्रार्थी का आवंटित कृषि भूमि है जिसकी सनद दिनांक 29.06.1961 प्रस्तुत है। इस प्रकार इस आवटित कृषि भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं हैं इसी प्रकार चक 40 एल एल डब्लयू बी के खाता सं. 21/17 के प.नं. 10/242 की कुल 2.277 हैक. नहरी अनकमाण्ड कृषि भूमि भी मिन अप्रार्थी को आंवटित कृषि भूमि है जिसकी सनद दिनांक 29.06.1961 को जारी हुई जो प्रस्तुत है, इस प्रकार चक 40 एल एल डब्लयू बी व 38 एल एल डब्लयू बी की उक्त कृषि भूमि मिन अप्रार्थी आवंटित कृषि भूमि है। चक 41 एल एल डब्लयू की कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी द्वारा अपना 1/4 हिस्सा में से प्रार्थी को 1/5 हिस्सा मानते हुए चक 40 एल एल डब्लयू बी की कृषि भूमि में उसका हक प्रदान किया जा चुका है जिसमें उसकी पूर्णत रजामन्दी व सहमती रही थी।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रतिप्रार्थना पत्र की दफा 7 कतई असत्य अविधिक होने से अस्वीकार है। चक 41 एल एल डब्लयू के खाता सं. 52/30 के प.नं. 15/239 की 3.795 हैक. कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड जरिये दस्तवदारी दिनांक 12.12.2001 को प्राप्त हुआ जो मिन अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ इस कारण यह कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि न होकर मिन अप्रार्थी सं. 1 को जरिये दस्तवदारी प्राप्त कृषि भूमि है इस कारण यह पैतृक कृषि भूमि नहीं है जिसमें अप्रार्थी सं. 8 ता. 10 का किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 मिन अप्रार्थी के जन्म से सहदायिकी नहीं है। नाना–पड़नाना की कृषि भूमि में दोहिते व पड़दोहितो का नाना के जीवित रहते किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं बनता है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 अपने दादा पड़दादा की कृषि भूमि में से ही हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 8 ता 10 का किसी प्रकार का हक व हिस्सा, निहित नहीं है। अप्रार्थी स. 8 ता 10 अपने पितृवंश से ही कृषि भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार नाना के जीवित रहते दोहिते किसी प्रकार का कानूनन हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मिन अप्रार्थी सं. 1 के जीवित रहते अप्रार्थी सं. 8 ता 10 कृषि भूमि को पैतृक दर्शा कर हक व हिल्सा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के हक में करवाया गया पंजीकृत दान पत्र विधिवत रूप से करवाया गया है, मिन अप्रार्थी सं. 1 को अप्रार्थी सं. 2 व 3 के हक में दान पत्र कारवाने की पूर्णत अधिकारीता है जिसमें अप्रार्थी सं.10 का किसी प्रकार का हित निहित नहीं है न ही अप्रार्थी सं. 3 ता 10 की ओर से इसे शुन्य घोषित करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी जसवन्त सिंह की और सिविल न्यायालय पीलीबंगा में दान पत्र को शून्य घोषित करवाने के हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्त किया था जो आर्थिक क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण व कम मूल्याकन पर आधारित होने के कारण प्रार्थना पत्र वादीगण को वापिस लौटा दिया गया है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 द्वारा अविधिक कथन अकिंत किए गए है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 का मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि में किसी प्रकार हक व हिस्सा निहित नहीं होने के कारण किसी प्रकार की खरीदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मिन अप्रार्थी को जो कि 95 वर्षिय बुढा यति है जिसकी स्वंय अर्जीत कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 8 ता 10 व अन्य किसी पक्षकार का मिन अप्रार्थी सं. 1 के जीवित रहते किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं है। मिन अप्रार्थी सं. 1 को अपने जीवित रहते अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनी इस कृषि भूमि अपने पास रखना नितांत आवश्यक है मिन अप्रार्थी सं. 1 की 95 वर्षीय उम्र में अप्रार्थी सं. 8 ता 10 किसी प्रकार की सुध नहीं लेते व किसी प्रकार की सार सम्भाल नहीं करते इस कारण अप्रार्थी सं. 8 ता 10 किसी प्रकार का हक व हिस्सा मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि में प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

यह कि जचाब प्रार्थना पत्र मय प्रतिप्रार्थना पत्र की दफा 8 कतई असत्य अविधिक होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी सं. 1 की स्वंय अर्जीत कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 8 ता 10 व प्रार्थी का किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 8 ता 10 दर्भीसंधी है इस कारण मिन अप्रार्थी सं. 1 की बुढापा अवस्था में मिन अप्रार्थी सं. 1 को तंग व परेशान करने के लिए झूठे तथ्यो पर राजस्व रिकार्ड की अन्देखी करते हुए प्रतिप्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम विधिवत रूप से चक 41 एल एल डब्लयू के प.नं. 15/239 की 3.795 हैक. कृषि भूमि विधि वत रूप से दर्ज रिकार्ड है जिसमें अप्रार्थी सं. 8 ता 10 का किसी प्रकार का हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम वर्णित कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 को जरिये दान पत्र कृषि भूमि प्राप्त होने के कारण उनकी स्वंय अर्जीत कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थी सं. 2 व 3 के अलावा किसी का हक व हिस्सा निहित नहीं है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा अप्रार्थी सं. 2 व 3 की कृषि भूमि में प्राप्त करने व उनका नाम कलमजन करवाने के विधिक अधिकारी नहीं है।

यह कि जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रतिप्रार्थना पत्र की दफा 9 कतई असत्य अविधिक होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 जो कि सहखातेदार नहीं है व कृषि भूमि में किसी प्रकार का हिस्सा निहित नहीं है इस कारण किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा अप्राची स. 8 ता 10

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

1/2/9/25

प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 का प्रतिप्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 का अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम वर्णित कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं है। इस कारण अप्रार्थी सं. 8 ता 10 को किसी प्रकार की अपरिमेय क्षति नहीं हो रही है प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सतुलंन अप्रार्थी सं. 8 ता 10 के पक्ष में नही बनता है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 सहखातेदार भी नहीं है इस कारण किसी खातेदार के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं. 8 ता 10 का प्रतिप्रार्थना पत्र विधि विहिन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें ।

अतः जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र मय जवाब प्रतिप्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 8 ता 10 का प्रतिप्रार्थना पत्र विधि विहिन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस उभय पक्ष का मनन किया गया पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रश्नगत रकबा चक 41 एलएलडब्ल्यू व चक 38 एलएलडब्लयू बी एवं चक 40 एलएलडब्ल्यू बी जो कि पैतृक कृषि भूमि है तो वाद प्रस्तुत कर प्रार्थी अनुतोष प्राप्त करने का एवं अपने हक हिस्सों की घोषणा पाने का अधिकारी है।

प्रश्नगत रकबा की घोषणा हेतु न्यायालय हाजा में वाद जैरकार जिसमें साक्ष्य सबूतों एवं तनकीयात के आधार पर प्रार्थीया को अपना वाद साबित करना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला वाद पत्र निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलन** :–अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थी का प्रश्नगत रकबा में बतौर सह दायिक जन्म से हक्क व हिस्सा निहित है जिससे प्रार्थी को सुविधा का सन्तुलन बिन्दू भी पक्ष में प्रार्थी के साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू से तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उभय पक्ष के मध्य वाद जैरकार है जिसमें गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यदि अपने हक्क व हिस्सा की भूमि दान पत्र या अन्य प्रकार से अन्तरण/मुन्तकिल कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है इस प्रकार अपूर्णीय क्षति बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित होने से स्वीकार किया जाता है दिनांक 17.03.23 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा तादावा ता फैसला तक निरंतर की जाती है।

निर्णय आज दिनाकं 26/5/26 ——को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा